

## दूरसंचार की सुगमता एवं वसितार दशा-नरिदेश 2023 का अनुमोदन

### चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्र-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे नयिम, 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023' एवं 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दशा-नरिदेश 2023' का मंत्र-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

### प्रमुख बडि

- उक्त नीति लागू किये जाने से मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से वसितार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी।
- प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनयोजित विकास एवं वसितार को सुनश्चिति करने के लिये 'मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वायस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दशा-नरिदेश 2019' वर्तमान में लागू है।
- इस नीति की वैधता अवधि दिसंबर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुवधिएँ भी रोल-आउट कर दी गई है।
- भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार वभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नयिम, 2022 जारी किये गए हैं, जसिमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनयिदी ढाँचे को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये वशिष्टि प्रावधान किये गए हैं।
- दूरसंचार वभाग, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2023 को भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022 जारी किये गए हैं। इन नयिमों में यह प्रावधान किये गया है कि सार्वजनिक एवं नजिी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति/एजेंसी खुदाई या खनन का कार्य करता है तो सामान्य, पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुजप्तधारी को सूचित करेगा। इससे दूरसंचार अवसंरचना को अवांछित क्षति से बचाया जा सकेगा।